



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY



पत्रांक:-रू0वि0/रासेयो/2020/1264/985-990
सेवा में,

दिनांक:- 28.11.2020

अति-आवश्यक

प्राचार्य/प्राचार्या/कार्यक्रम अधिकारी,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय (रा0से0यो0),
महा0ज्यो0फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय:-राष्ट्रीय सेवा योजना खाता को पब्लिक फाइनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) की कार्यप्रणाली से पंजीकरण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की क्रियान्वयन इकाईयों/एजेंसियों को पब्लिक फाइनेशियल मैनेजमेन्ट (PFMS) का सार्वभौमिक रूप से उपयोग एवं इसके माध्यम से सभी प्रकार का भुगतान/अनुदान निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि आप अपने महाविद्यालय में संचालित रा0से0यो0 के अनुदान हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में प्राचार्य व कार्यक्रम अधिकारी रा0से0यो0 महाविद्यालय के नाम से खाता (सामान्य मद व विशेष मद) में खुलवाकर तत्काल बैंक पासबुक सहित विश्वविद्यालय के रा0से0यो0 प्रकोष्ठ में उपलब्ध करा दें, जिससे उक्त खातों को पब्लिक फाइनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) कार्यप्रणाली से पंजीकृत किया जा सके। इस सम्बन्ध में आपको पूर्व में भी अवगत कराया जा चुका है परन्तु कुछ महाविद्यालय द्वारा अभी तक इस पर शिथिलता अपनायी हुई है जो बहुत ही खेद का विषय है।

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि आप रा0से0यो0 के अनुदान हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में प्राचार्य व कार्यक्रम अधिकारी रा0से0यो0 महाविद्यालय के नाम से संयुक्त खाता (सामान्य मद व विशेष मद) में पृथक-पृथक खुलवाकर बैंक पासबुक व (PFMS) प्रारूप सहित विश्वविद्यालय के रा0से0यो0 प्रकोष्ठ में अनिवार्य रूप से तत्काल उपलब्ध करा दें, जिससे उक्त खातों को पब्लिक फाइनेशियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) की कार्यप्रणाली से पंजीकृत किया जा सके। अन्यथा के अभाव में रा0से0यो0 के अन्तर्गत इकाई एवं अनुदान धनराशि आवंटित किया जाना सम्भव नहीं होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।

संलग्नक:- (PFMS) प्रारूप

भवदीय

(डा0सोमपाल सिंह)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव को संज्ञानार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
5. वेबसाइट प्रभारी को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

Information required for PFMS Agency Registration (Only for GPs)

1	Agency / Institution Type:-
2	Agency Name:-
3	Registering Authority:-
	a. Charity Commissioner:-
	b. Deputy Registration of Society:-
	c. Registrar of Society:-
	d. Other(Specify):-
4	TIN Number (Optional)
5	TAN Number (Optional)
6	PAN Number (Optional)
	Agency Office Address Details
	a. State/UT:-
	b. District
7	Rural:-
	Block:-
	Panchayat:-
	Village:-
	Pin Code:-
8	Urban
	Block no/Building/Village/Name of Premises
	Road/Street/Post Office:
	Area/Locality:-
	City:-
	Agency Contact Details:-
	Contact Person:- 1. _____ 2. _____
	Designation:- Principal _____ Programme officer _____
	Phone NO. _____
	(Prefer landline if not available provide mobile number)
9	Mobile Number:- (Mobile No.Starting with Country Code)
10	Email :-
11	Bank Name:-
12	Bank Branch Address:-
13	Bank Branch IFSC
14	Bank Account Number:- 1. GEN _____ 2. SPE. _____
15	Name as per Bank Passbook:-
16	Opening Balance as per cash book:-
17	Bank Account Balance and date:-

Signature of Principal with seal

Signature of Programme Officer